सं. 31011/7/2014-स्था.(क.IV)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
स्थापना क-IV डेस्क

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001
दिनांक : 01 जून, 2016

कार्यालय ज्ञापन

विषय : **केंद्रीय सिविल सेवाएं (छुट्टी यात्रा रियायत) नियम, 1988 - जम्मू एवं कश्मीर की यात्रा करने के लिए निजी (प्राइवेट) हवाई जहाजों से यात्रा में छूट बढ़ाने के संबंध में।**

अधोहस्ताक्षरी को इस मंत्रालय के दिनांक 26 सितम्बर, 2014 के कार्यालय ज्ञापन सं. 31011/3/2014-स्था.(क.IV) का संदर्भ देने का निदेश हुआ है जिसमें सीसीएस (एलटीसी) नियमावली, 1988 को शिथिल करते हुए सरकारी सेवकों को जम्मू और कश्मीर (जे एंड के), उत्तर पूर्व क्षेत्र (एनईआर) तथा अंडमान और निकोबार (ए एंड एन) की दो साल की अवधि के लिए अपने गृह नगर एलटीसी के एक ब्लाक का परिवर्तन कर, हवाई जहाज से यात्रा करने की अनुमति दी गई थी। यह छूट इस शर्त के अधीन दी गई है कि विमान यात्रा सिर्फ एयर इंडिया से की जाए।

2. इसके पश्चात कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 28.11.2014 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन द्वारा सरकार ने, कतिपय शर्तों के अधीन, विशेष छूट योजना के अंतर्गत प्राईवेट एयरलाइंस से जम्मू और कश्मीर के लिए यात्रा करने की अनुमति दी थी। यह योजना का.ज्ञा. जारी होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए वैध थी और 27.11.2015 को यह समाप्त हो गई।

3. अब इस योजना को इस का.ज्ञा. के जारी होने की तिथि से, जम्मू और कश्मीर, उत्तर पूर्व क्षेत्र और अंडमान और निकोबार की विमान द्वारा यात्रा की विशेष छूट योजना की समाप्ति तिथि अर्थात 25.09.2016 तक, और आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस विभाग के दिनांक 28.11.2014 के का.ज्ञा. के सभी अन्य निर्धारित निबंधन और शर्तें लागू रहेंगी।

(हस्ताक्षर)
(मुकेश चतुर्वेदी)
निदेशक (स्थापना)

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

प्रतिलिपि:

1. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली
2. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली
3. केंद्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली

क्रमश: ....

4. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली
5. संसदीय पुस्तकालय, नई दिल्ली
6. सभी संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन
7. लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय
8. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय
9. एनआईसी, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, इस विभाग को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित का.ज्ञा./आदेश->स्थापना->एलटीसी नियम